7. उच्च शिक्षा बहुआयामी शिक्षा, चिकित्सा, तकनिकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा व पशुपालन के क्षेत्र में शिक्षा प्रसार हेतु प्रशिक्षण संस्थान खोले

8 पिछड़े वर्ग के युवको को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार योजना कार्यक्रम एवं उत्थान का कार्य करना।

9 वोकेशनल प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं व महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

10 सभी क्रियाकलाप अलाभकारी होंगे और "कोई लाभ हानि नहीं" आधार पर किये जायेंगे

11. पशुपालन के क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु प्रशिक्षण संस्थान खोलना व प्रशिक्षण प्रदान करना

12 सोसायटी की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियां केवल सोसायटी के ज्ञापन में दिये गए लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगी और इसके किसी भी लाभ को सोसायटी के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी रीति से भुगतान या अन्तरण नहीं किया जायेगा। सोसायटी के किसी भी सदस्य का सोसायटी की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं रहेगा। या वह इस सदस्यता के कारण कोई लाभ नहीं कमायेगा।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष
बिमला	Vikram Jaswal मंत्री	Rohit Kumar कोषाध्यक्ष

मातेश्वरी शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नामः- इस संस्था का नाम मातेश्वरी शिक्षा समिति ग्राम मैड तहसील विराटनगर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर है
तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्यः- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बालक-बालिकाओं की समुचित शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना।
2. शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रयोग, साहित्य प्रकाशन करना।
3. भारतीय परम्पराओ पर आधारित शिक्षा देकर उन्हें आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा देना।
4. बालक-बालिकाओं के सर्वांगिण विकास हेतु पुस्तकालय, व्यायामशालाएं तथा कार्यशालाओ की स्थापना करना।
5. महिला कल्याण के विविध कार्यक्रमों का आयोजन तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वांछित संस्थाओ की स्थापना करना।
6. बाहर से आने वाले छात्रो हेतु इच्छुक छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना एवं प्रातः सायं अध्ययन की सुविधा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

विमला	Vikram Anwal	Ashok Kumar
अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं ज...